निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 श्रावण 1932 (श0)

(सं0 पटना 548) पटना, शुक्रवार, 6 अगस्त 2010

आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

4 अगस्त 2010

सं0 I प्रा0आ0-1927/आ0प्र0—वर्ष 2010 में राज्य में मॉनसून की वर्षा की स्थिति दयनीय है। वर्षा की कमी के फलस्वरूप खरीफ की मुख्य फसलों (धान एवं मक्का) की रोपनी/बुआई लक्ष्य से काफी कम हो पाई है। जिन क्षेत्रों में रोपनी/बुआई की गयी, वहाँ भी अल्प वर्षापात् के कारण उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित है। कृषि विभाग, बिहार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में वर्षापात की स्थिति अत्यंत खराब है। 01 जून से 31 जुलाई तक राज्य में 508.5 मि0मी0 औसत वर्षापात के विरुद्ध आलोच्य अवधि में मात्र 392.8 मि0मी0 बारिश ही हो पाई है।

इस प्रकार वर्षापात में औसतन 23 प्रतिशत की कमी पाई गई है। राज्य में मॉनसून का आगमन भी इस वर्ष दो सप्ताह से अधिक विलंब से होने के कारण स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है।

अत्यल्प वर्षापात के कारण राज्य के भू एवं सतही जलस्रोत भी प्रभावित हो रहे हैं। राज्य के कई भागों में जलस्रोत सूख रहे हैं एवं जलाशयों तथा भूगर्भ जलस्तर में काफी कमी आयी है। कृषि एवं जल संसाधनों के अतिरिक्त सूखे का कुप्रभाव पशु संसाधन एवं रोजगार पर भी पड़ने की प्रबल संभावना है। इस प्रकार कुल मिलाकर राज्य में सुखाड़ के कारण आपदा की स्थिति बन गई है।

उक्त आलोक में राज्य के 28 प्रभावित जिलों में सुखाड़ (प्राकृतिक आपदा) घोषित किया जाता है, जिसकी समेकित सूची अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

2. अधिसूचित जिलों में सुखाड़ से निपटने हेतु आपदा राहत निधि (CRF) तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (NCCF) से दिये जानेवाले सहायता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

3. अधिसूचित जिलों में किसानों से सहकारिता ऋण, राजस्व लगान एवं सेस, पटवन शुल्क, विद्युत शुल्क जो सीधे कृषि से संबंधित हो, की वसूली वित्तीय वर्ष 20010-11 के लिए स्थगित रहेगी।

4. प्रभावित जिलों में फसल को बचाने, वैकल्पिक कृषि कार्य की व्यवस्था करने, रोजगार के साधन उपलब्ध कराने, पशु संसाधनों का सही रख-रखाव करने, इत्यादि, के लिए आवश्यकतानुसार साहाय्य कार्य चलाने, आदि, की व्यवस्था की जाएगी जिसके लिए संबंधित विभाग द्वारा निम्न प्रकार से वर्णित कार्य किये जायेंगे -

(i) <u>कृषि प्रक्षेत्र</u>

(क) कृषि विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार फसलों की सुरक्षा एवं बचाव के लिए कृषि इनपुट के रूप में डीजल, बीचड़ा, बीज आदि पर सब्सिडी की व्यवस्था की जाएगी।

(ख) वैकल्पिक फसल योजना तैयार कर उसके सफल क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

(ग) सतही जलस्रोतों के सूख जाने के कारण वैकल्पिक माध्यमों से सिंचाई की व्यवस्था होगी। इस हेतु जल संसाधन एवं लघु जल संसाधन विभाग आकस्मिकता योजना तैयार कर इसका कार्यान्वयन करेंगे।

(घ) खरीफ फसल के लिए डीजल अनुदान की स्वीकृति दी गई है। उपरोक्त व्यवस्था आवश्यकता होने पर रबी फसल के लिए भी की जाएगी।

(च) सहकारी तथा राष्ट्रीकृत बैंकों के माध्यम से कृषि ऋण उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

(छ) किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलवाने हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

(ii) <u>पेयजल</u>

जलापूर्ति की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा जिला पदाधिकारी के निर्देशन के अनुसार की जाएगी। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति हेतु पूर्व में लगाये गये चापाकलों/ नलकूपों की मरम्मति की जाएगी। आवश्यकता का आंकलन कर पुराने चापाकलों को और गहरे स्तर तक गाड़े जाने की व्यवस्था की जाएगी। जरूरत के अनुसार नये नलकूप/चापाकल भी लगाये जायेंगे। प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से भी जलापूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में भी पेयजलापूर्ति की आवश्यकत्तानुसार पेयजल की कमी को दूर करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। पाइप जलापूर्ति योजनाओं के लिए विद्युत आपूर्ति की सुदृढ़ व्यवस्था रहेगी।

(iii) <u>खाद्यान्न</u>

(क) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि जिलों में पर्याप्त खाद्यान्न का भंडारण है एवं जनवितरण प्रणाली के माध्यम से लक्षित वर्ग के उपभोक्ताओं को

खाद्यान्न का वितरण हो रहा है। अन्नपूर्णा एवं अंत्योदय योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण का गहन अनुश्रवण किया जाएगा। विषम स्थिति में राज्य सरकार द्वारा मुफ्त साहाय्य वितरण हेतु खाद्यान्न के पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था रखी जाएगी। इस हेतु केन्द्र सरकार से अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाएगा।

(ख) सुखाड़ग्रस्त जिलों के सभी पंचायतों में एक-एक क्वींटल खाद्यान्न रिवाल्विंग स्टॉक के रूप में चिन्हित जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों के पास सुरक्षित रखा जाएगा ताकि भूख से प्रभावित व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न तत्काल उपलब्ध कराया जा सके।

(iv) <u>मुफ्त साहाय्य</u>

मुफ्त साहाय्य वितरण का निर्णय यथा समय आवश्यकतानुसार संबंधित जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं आपातकालीन प्रबंधन समूह की अनुशंसा के आलोक में आपदा राहत कोष समिति द्वारा लिया जाएगा। मुफ्त साहाय्य वितरण के पात्र वे व्यक्ति/ परिवार होगें जिन्हें जीवन यापन के लिए तुरन्त सहायता की आवश्यकता है, जिनका अन्न भंडार समाप्त हो गया हो एवं जिनके पास तुरन्त सहायता का कोई साधन न हो।

(v) <u>पशु संसाधन</u>

(क) सुखाड़ के कारण पशुचारा की तात्कालिक कमी नहीं है, परन्तु कालान्तर में कृषि फसल अवशेष की लगातार कमी के कारण इसके दीर्घकालीन प्रभाव अवश्यंभावी है। अतः पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग पशुचारा की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगा। लगातार सुखाड़ की स्थिति में जलाशय सूख रहे हैं, जिसके कारण पशुओं के लिए पेयजल की नितांत कमी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में जिला पशुपालन पदाधिकारियों द्वारा स्थिति का आकलन कर स्थल का चयन किया जाएगा तथा इन चयनित स्थलों को पशु शिविर के रूप में चिह्नित किया जा सकेगा। इन चिह्नित स्थलों पर विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा लघु सिंचाई विभाग के सहयोग से जलाशयों में जल की व्यवस्था की जाएगी।

(ख) सुखाड़ के कारण पशुओं में इफिमेरल फीवर, हीट स्ट्रोक, न्यूमोनिया, दस्त जैसी सामान्य पशु रोगों की बहुतायत होती है। इन बिमारियों से निपटने हेतु पशु चिकित्सालयों में दवा का पर्याप्त भंडारण कर लिया जाएगा, जिनमें एंटिबायोटिक्स, एनाजलेसिक, पारासिटामोल, एंटि हिस्टास्टामिनिक, एंटि डायरियल, लीवर टॉनिक, नॉरमल सलाईन, एलेक्ट्रोलाइट इन्यूजन लिक्विड, आदि, का क्रय आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

(ग) पशु स्वास्थ्य की देखभाल एवं रोगों की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर चलन्त चिकित्सा दलों की व्यवस्था रहेगी।

(vi) <u>रोजगार सृजन</u>

(क) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि कार्य की कमी के कारण मजदूरों के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न होगा अतएव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण में गतिशीलता लायी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन हेतु मनरेगा के अन्तर्गत परियोजनाओ के बैंक ऑफ सैंक्शंस तैयार कर क्रियान्वित किए जाएंगे जिसमें जल संरक्षण की योजनाओं यथा – तालाब, आहर एवं पाइन उड़ाही, चेक डैम, डगबेल, वृक्षारोपण इत्यादि को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) अन्य संबंधित विभाग भी सूखे से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए मनरेगा के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार रोजगारोन्मुख परियोजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे।

(ग) मनरेगा के अन्तर्गत सुखाड़ग्रस्त जिलों में रोजगारोन्मुखी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार केन्द्रांश विमुक्ति की प्रत्याशा में राज्यांश की विमुक्ति की कार्रवाई विहित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

(vii) लघु जल संसाधन

राज्य में सिंचाई हेतु सरकारी नलकूपों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था है। सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी नलकूप ऊर्जान्वित रहे ताकि इनके माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध रहे। साथ ही सतही एवं भूगर्भ जलस्रोतों जैसे – तालाब, पोखर, आहर को रिचार्ज करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। भूजल रिचार्ज की योजनाएँ भी ली जाएंगी। बिहार भू-जल सिंचाई योजना का अधिक–से–अधिक प्रचार प्रसार किया जायेगा एवं सुखाड़ से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

(viii) विद्युत

पम्प, नहर योजनाएं, राजकीय नलकूपों, सिंचाई योजनाएं एवं अधिकांश निजी नलकूप – सभी बिजली पर आधारित है। अतः ऊर्जा विभाग/बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कृषि कार्यों हेतु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाएगा। सुखाड़ प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम निर्धारित 5-6 घंटों के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा इसका प्रचार प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाएगा।

(ix) स्वास्थ्य

सूखाड़ग्रस्त क्षेत्रों में डायरिया एवं भीषण गर्मी के प्रकोप से उत्पन्न होनेवाली बीमारियां यथा – दस्त, कॉलरा, अतिसार, मियादीबुखार, मिजिल्स, डिहाइड्रेशन, डर्मेटाईटिस, हीट स्ट्रोक आदि की रोकथाम हेतु सभी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों, उप–केन्द्रों एवं अन्य चिकित्सालयों में वांछित दवाओं एवं जीवन रक्षक घोल (ओ0आर0एस0) का पर्याप्त भंडारण कराया जाएगा। प्रभावित जिलें में मोबाइल मेडिकल केयर यूनिट की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों में ओ0आर0एस0 एवं पारासिटामोल आदि दवाओं का भंडारण किया जाएगा तथा इसे आशा कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से वितरित कराया जाएगा। प्रत्येक जिला में सुखाड़ की अवधि तक सिविल सर्जन के अधीन एक मॉनेटरिंग सेल का गठन होगा जिसमें पदाधिकारी एवं कर्मचारी 24 घंटे कार्यरत रहेंगे।

(x) महिलाओं एवं बच्चों की देखभाल

सुखाड़ क्षेत्र में बच्चों एवं गर्भवती तथा धातृ महिलाओं को कुपोषण से बचाने हेतु पूर्व में चलाये जा रहे कार्यक्रमों के अतिरिक्त पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक केन्द्र पर उपलब्ध मेडिकल किट में ओ0आर0एस0 एवं पारासिटामोल दवा भी रखी जाएगी। इस व्यवस्था का नियमित एवं सघन अनुश्रवण किया जाएगा ताकि सुखाड़ की स्थिति में इसका प्रभावकारी एवं सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सके।

5. <u>अनुश्रवण</u>: सुखाड़ आपदा प्रबंधन हेतु अनुश्रवण की व्यवस्था निम्नानुसार की जाएगी:

(क) जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में सुखाड़ साहाय्य कार्य चलाए जायेंगे। सुखाड़ आपदा प्रबंधन के अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर 24 घंटे क्रियाशील नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। इसके दूरभाष संख्या को आम आवाम की जानकारी हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाएगा। नियंत्रण कक्ष में रोस्टर में सिविल पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य तकनीकी सेवाओं के पदाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किये जाएंगे। जिला पदाधिकारी के अधीन गठित टॉस्कफोर्स सुखाड़ से उत्पन्न स्थिति एवं इसके निवारण हेतु किये जा रहे प्रयासों का साप्ताहिक अनुश्रवण करेगी।

(ख) मुख्यालय स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग में राहत कार्य के अनुश्रवण हेतु गठित नियंत्रण कक्ष निरंतर क्रियाशील रहेगा।

(ग) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, कृषि विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में हेल्प लाइन स्थापित किये जाएंगे जो निरंतर क्रियाशील रहेंगे।

(घ) राज्य स्तर पर गठित आपातकालीन प्रबंधन समूह (Crisis Management Group) निरंतर क्रियाशील रहेगा तथा सुखाड़ग्रस्त जिलों में राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का सतत् अनुश्रवण करेगा।

(च) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलों के प्रभारी सचिव अपने प्रभार के जिलों में चलाये जा रहे राहत कार्यो की सघन समीक्षा एवं अनुश्रवण करेंगे। इसके लिए वे आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय भ्रमण तथा जिला स्तर पर समीक्षा बैठक करेंगे।

6. उपर्युक्त के आलोक में संबंधित विभाग विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर अपने स्तर से आदेश निर्गत करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
व्यास जी,
प्रधान सचिव।

अनुलग्नक 'क'

बिहार में सुखाडग्रस्त जिलों की प्रमंडलवार सूची

मगध प्रमंडल-	भागलपुर प्रमंडल-
1. गया	1. भागलपुर
2. जहानाबाद	2. बाँका
3. औरंगाबाद	
4. अरवल	सारण प्रमंडल-
5. नवादा	1. सीवान
पटना प्रमंडल-	2. सारण
1. पटना	
2. नालन्दा	तिरहुत प्रमंडल-
3. भोजपुर	1. मुजफ्फरपुर
4. बक्सर	2. सीतामढ़ी
5. रोहतास	3. शिवहर
6. कैमूर	4. वैशाली
मुंगेर प्रमंडल-	5. पूर्वी चम्पारण
1. मुंगेर	
2. शेखपुरा	दरभंगा प्रमंडल-
3. लखीसराय	1. मधुबनी
4. जमुई	2. समस्तीपुर
5. बेगूसराय	3. दरभंगा

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 548-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in